भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 194*

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

बच्चों से बलपूर्वक भीख मंगवाना

***194. श्री राजीव शुक्ल :**

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मंत्रालय को बच्चों के अपहरण तथा उनसे बलपूर्वक भीख मंगवाने में लिप्त संगठित गिरोहों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई कार्रवाई की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री हरिभाई परथीभाई चौधरी)**

(क) और (ख) : एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है ।

*****

दिनांक 11.5.2016 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या 194 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : जी, नहीं। तथापि, गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार के संबंध में अनेक परामर्शी पत्र जारी किए हैं। ये परामर्शी पत्र मानव दुर्व्यापार-रोधी विषय पर गृह मंत्रालय के वेब पोर्टल www.stophumantrafficking-mha.nic.in पर उपलब्ध हैं।

भारत राष्ट्रपारीय संगठित अपराध के संबंध में संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (यूएनसीटीओसी) और महिलाओं एवं बच्चों की तस्करी को रोकने तथा उससे निपटने के संबंध में दक्षेस के अभिसमय का हस्ताक्षरकर्ता देश है। भारत तथा बांग्लादेश के बीच महिला ओं एवं बच्चों के मानव दुर्व्यापार को रोकने, उन्हें बचाने, बरामद करने, दुर्व्यापार के पीड़ितों के प्रत्यार्वतन तथा उनके परिवार के साथ पुनर्मिलन हेतु द्विपक्षीय सहयोग संबंधी समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर दिनांक 6 जून, 2015 को हस्ताक्षर किए गए

उपर्युक्त के अलावा, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने गृह मंत्रालय के परामर्श से देश में 'ट्रैक चाइल्ड' नामक एक वेब पोर्टल की शुरूआत की है जिसका उद्देश्य गुमशुदा एवं बरामद किए गए बच्चों के मिलान को आसान बनाने के लिए उनके पहचान संबंधी विस्तृत विवरणों के साथ सभी गुमशुदा बच्चों के वास्तविक समय के आंकड़ों का रख-रखाव करना है।

.....3/-

गृह मंत्रालय ने मानव दुर्व्यापार का मुकाबला करने के लिए एक बहु-आयामी रणनीति अपनाई है। इस उद्देश्य के अनुसरण में , देश के विभिन्न जिलों में 234 मानव दुर्व्यापार-रोधी इकाइयों (एएचटीयू) की स्थापना की गई है।

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय है और इस प्रकार अपराध के रोकथाम, उसका पता लगाने, मामला दर्ज करने, उसकी जांच करने तथा अभियोजन की मुख्य जिम्मेवारी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है।

*****